<u>प्रेस नोट दिनांक 21/01/2025</u>
<u>थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।</u>

<u>थाना भोजीपुरा व थाना बारादरी #bareillypolice की मुठभेड़ की संयुक्त कार्यवाही में अपहरण की घटना का सफल अनावरण, घटना में प्रयुक्त दो कार, 10 मोबाइल फोन, अवैध असलाह, कारतूस सहित 07 अपहरणकर्ता गिरफ्तार तथा जनपद बांदा से अपहृत श्री हरीश कटियार सकुशल बरामद ।</u>

थाना बारादरी पर दिनांक 19.01.2025 को मु0अ0सं0 56/2025 धारा 140(2) बीएनएस श्रीमती किरण कटियार पत्नी अनूप सिंह कटियार निवासी गमेशपुरम थाना बारादरी जनपद बरेली द्वारा अपने पति अनूप कटियार के फिरौती हेतु अपहरण के संबंध में पंजीकृत कराया था, जिसके सफल अनावरण के लिए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली एवं पुलिस अधीक्षक नगर बरेली द्वारा क्षेत्राधिकारी बहेड़ी श्री अरुण कुमार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक श्री धनन्जय कुमार पाण्डेय थाना बारादरी व प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीन सोलंकी थाना भोजीपुरा की गठित टीम द्वारा दिनांक 20.01.2025 को समय 22.40 बजे थाना भोजीपुरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मियाँपुर से मुखबिर की सूचना पर उदित पुत्र राकेश की बैठक (घर) से दबिश देकर थाना कोतवाली बांदा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2025 धारा 140(2) बीएनएस से सम्बन्धित अपहृत हरीश कटियार पुत्र गंगासरन कटियार नि0 पाण्डेपुर थाना पाली जिला हरदोई हाल निवासी अण्डा चौक थाना कोतवाली नगर जिला बांदा को सकुशल बरामद किया गया, जिन्हें कमरे में ताले के अन्दर बन्द कर रखा था व उसकी निगरानी मकान मालिक उदित पुत्र राकेश, उमाशंकर पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मियाँपुर थाना भोजीपुरा तथा खाने की आपूर्ति करने वाली श्रीमती लाली पत्नी अंकित उर्फ विनीत निवासी मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो स्पष्ट हुआ कि अनूप कटियार, अंकित उर्फ विनीत, खेमेन्द्र, शाहिद, ललित, आकाश, रजत उर्फ रमेश तथा वीरु उर्फ वीरपाल दो गाड़ियों से दो दिन पहले रात में करीब 10-11 बजे उनकी निगरानी में छोड़कर गये थे। इन लोगों ने निगरानी करने की एवज में रुपयों का लालच दिया था और कहा था कि एक-दो दिन में खुद ले जायेंगे। इसी लालच में रोक लिया था और ये सभी लोग आज रात को इस अपहृत को ले जाने वाले थे। इस जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा अलग-अलग दो पार्टी बनाकर ग्राम घुरसमसपुर की तरफ से दूसरी पार्टी दोहरा टांडा रोड़ से चल दिये, जैसे ही घुरसमसपुर रोड़ पर शमशान के पास समय करीब रात्रि 11.00 बजे पहुँचकर कार्डन डाल दिया, तो कुछ ही देर बाद पुलिस पार्टियों को दो गाडियां आती दिखाई दी, जिससे अपहरणकर्ताओं ने अपने को पुलिस पार्टी से घिरा देखते हुए गाड़ियों को तीव्रता से मोड़कर भागने का प्रयास किया, किन्तु हड़बड़ाहट में भाग नहीं पाये और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किये । आत्मरक्षार्थ की गयी जबाबी फायरिंग में अंकित उर्फ विनीत कटियार, शाहिद, वीरु उर्फ वीरपाल घायल हो गए व पुलिस पार्टी से वरि0उ0नि0 (थाना बारादरी) श्री रोहित शर्मा व हे0का0 असलम घायल हुये तथा मौके से घटना में प्रयुक्त गाड़ी UK 06 AH 0422 ग्रे कलर टाटा जस्ट व MARUTI ECO नं0 UP 32 LB 7046 बरामद हुई। टाटा जस्ट पर पीछे की तरफ फर्जी नम्बर प्लेट UP 27 DI 0758 और आगे की तरफ आरिजनल नं0 है। अभियुक्तों के कब्जे से 09 मोबाईल फोन, तीन तमन्चे 315 बोर मय 04 खोखा कारतूस व 06 जीवित कारतूस बरामद हुये । इस मुड़भेड़ में अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर 08 राउण्ड फायर किये गये तथा पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जबाबी कार्यवाही में 10 राउण्ड फायर किये गये। घायल तीनों अपहरणकर्ताओं व घायल दोनों पुलिस कार्मिकों को उपचार हेतु तत्काल हास्पिटल भिजवाया गया । अभियुक्तगणों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>विवरण पूछताछ –</u>

अपहरणकर्ताओं से पूछताछ में अनूप व उसके साथी आकाश पुत्र नरेशपाल नि0 पुण्डरी समीप बरोर थाना नबावगंज बरेली ने संयुक्त रुप से बताया कि हम स्थायी रुप से ग्राम पाण्डेपुर थाना पाली जिला हरदोई का रहने वाले है अनूप ने बताया कि उसके पिता जो लेखपाल से रिटायर हैं। रिटायर होने के बाद हमने एक घर पवन बिहार कालोनी थाना बारादरी बरेली में बना लिया है, जहाँ पर मैं परिवार सहित रहता हूँ एवं गांव पर खेती आदि के सिलसिले में जाता आता रहता हूँ। हरीश कटियार मेरे परिवार का तहेरा भाई हैं तथा वर्तमान में अण्डे का थोक व्यापार का काम जनपद

बांदा में करता है। मैं कई बार उनके यहाँ गया हूँ एवं मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन्होंने मदद भी की है। साहब इस समय मैं काफी परेशान था काफी पैसे लोगो के मेरे उपर बकाया हो गये हैं। मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। घरेलू खर्च व स्वयं का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। मुझे मरे तहेरे भाई हरीश ने 01 लाख 70 हजार रुपये पहले भी दिये थे। मैंने हरीश कटियार से 03 लाख रुपया की माँग की थी। मुझे पता है कि हरीश का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। काफी पैसा उसके पास है, हरीश ने 15 दिन बाद मुझे 03 लाख रुपया देने के वायदा भी किया था। मैंने कृष्णा नगर थाना बारादरी के रहने वाले देवेन्द्र जो रिटायर फोजी है उनसे पाँच लाख रुपये 03 साल पहले से उधार ले रखे हैं, जिनका देवेन्द्र तकादा कर रहा था। मैंने उससे कई बार रिक्वेस्ट की थी परन्तु वह नहीं मान रहे थे। मैंने तीन साल पहले देवेन्द्र से पैसे लेकर फरुखाबाद प्रापर्टी में लगाया था जिसमें मुझे घाटा हो गया था, इसलिए मैं देवेन्द्र के पेसे नहीं दे पा रहा था। तब मैंने इससे दुसरे तरीके से पैसा निकलाने की तरकीब निकाली और इसे अपहरण कर पैसा फिरौती के रुप में प्राप्त करने के लिए एक अपने साथी अंकित उर्फ विनीत कटियार , शाहिद , खेमेन्द्र , आकाश, ललित रजत उर्फ उमेश, वीरु उर्फ बीरपाल के साथ मिलकर योजना बनाई। जिसके लिए मैंने अब से करीब 01 माह पहले जब मैं अपने गांव पाण्डेपुर आया था वहीं पर अपहरण की योजना बनाई थी और हरीश से साथ में डाबे पर चलने के लिए कहा था मैंने अपने सभी साथी वीरु की गाड़ी में ढाबे पर लगा रखे थे परन्तु हरीश ने मेरे साथ ढाबे पर चलने के लिए मना कर दिया था। जिससे हमारी योजना फेल हो गया थी। फिर हमने योजना चेन्ज की और योजना के अनुसार मैं अपनी गाड़ी UK 06 AH 0422 ग्रे कलर टाटा जस्ट को लेकर दिनांक 16/01/2025 को अकेला व दुसरी गाड़ी वीरु उर्फ बीरपाल की ईको में अंकित उर्फ विनीत कटियार , खेमेन्द्र, आकाश , व रजत उर्फ उमेश चले थे। ताकि रास्ते में पड़ने वाले टोल के केमरों में हम सब लोग एक गाड़ी में न दिखाई दे। मैंने अपनी सभी साथियों को बांदा में अलग होटल में रुकवा दिया था और होटल के 2000/ रुपये अंकित को दे दिये थे और मैं शाम को 09.00 बजे अपने चचेरे भाई हरीश कटियार के पास चला गया था। उसके कमरे पर रुका था और मैंने हरीश को चित्रकुट घुमने चलने के लिए कहा था तो हरीश ने मना कर दिया था । हमारी प्लान इसे घुमने के बहाने ले जाकर अपहरण करने की थी ताकि अपहरण करते समय कोई शोर शराबा न हो और किसी को पता न लगे। हरीश ने यह कहकर कि मेरे अण्डे की गाड़ी आ गयी मुझे उतरवानी है मै नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने कहा कि फिर मैं भी नहीं जाऊंगा और मैंने अपनी योजना चेन्ज कर दी और अगले दिन रात में घऱ से ही उठाने की योजना बनाई। शाम को खाना खाने के बाद मैंने हरीश से कहा कि मेरे दोस्त चित्रकुट घुमकर वापस आ रहे हैं मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ। इस बहाने से दरवाजा खोलकर बाहर गया और अपने साथियों को मकान दिया था। और बताया कि रात में 1.30 बजे आ जाना मैं अन्दर से कुन्डी खोल दुँगा और तुम तमन्चा लगाकर हरीश को उठा लेना और मुझे भी धमकाना और ऐसा नाटक करना कि दोनो का अपहरण किया है। योजना बताकर मैं वापस कमरे में आकर कमरे की कुन्डी बन्द करके लेट गया और 1.30 बज का इन्तजार करने लगा । हरीश सो गया जैसे ही रात का 1.30 बजा मैंने कुन्ड़ी खोल दी और अंकित आदि मेरे साथी सभी अन्दर आ गये और उन्होने हरीश के उपर कबंल डालकर सर पर तमन्चा लगाकर अपहरण कर लिया और मुझे भी धमकाया कि चल गाड़ी चला तेरा भी अपहरण हो गया। मैं अपनी गाड़ी की सीट पर बैठ गया बराबर वाली सीट पर मेरा साथी रजत बैठ गया पीछे वाली सीट पर बीच मे हरीश को बैठा लिया और पीछे वाली सीट पर एक तरफ अंकित उर्फ विनीत व दुसरी तरफ खेमेन्द्र बैठ गया। रजत ने हरीश के पेट पर तमंचा लगाये रखा और बार बार आवाज न करने के लिए धमकाता रहा । हम लोग उसे लेकर बरेली आ गये। और भुता पहुँचे और गाड़ी का तेल खतम हो गया था अंकित ने हरीश के करंट अकाउण्ट से 7500/ रुपये क्यू आर कोड़ के द्वारा ट्रान्सफर कराये और भुता में ही पेट्रोल पंप से 3000 रुपये का तेल डलवाया था और इसका पेमेन्ट भी हरीश के सेविंग अकाउण्ट से फोन पे से पेमेन्ट कराया था । और रजत ने हरीश से चेन और अंगुठी छीन ली थी। और पर्स पैसे भी इन लोगो ने निकाल लिये थे । दिन होने के कारण हम ऐसे घुमाते रहे शाहँजापुर से हरदोई रोड़ पर चले गये। हरीश जब भी पानी माँगता था तो हम इसे पानी न देकर शराब देते थे ताकि हरीश नशा रहे ऐसे ही घुमाते हुए रात हो गयी । रात में समय करीब 10.30 बजे योजना के अनुसार अंकित के गांव में हरीश को लेकर पहुँचे और गांव के बाहर ही अंकित ने उदित को बुलाकर उसकी बैठक में हरीश का मुहँ ढककर गाड़ी से उतारकर अन्दर बन्द कर दिया । जिसकी निगरानी के लिए उदित, और खेमेन्द्र के पिता उमाशंकर को छोड़ दिया और खाना लाने के लिए अंकित ने अपनी पत्नी लाली को लगा दिया । मैं अपनी गाड़ी लेकर राममुर्ति अस्पताल गया और पार्कंग में गाड़ी खड़ी करके उसी में सो गया फिर अगले दिन मैं और अंकित उर्फ विनीत बहेडी वाला टोल बचाते हुए

लालपुर उधमसिंह नगर उतराखण्ड पहुँचे और मैंने अपने फोन से अंकित से अपनी पत्नी ममता को फोन कराकर पाँच लाख रुपया फिरौती का माँग कराई और हरीश के फोन से उसकी पत्नी ज्योति को फोन कराकर 15 लाख रुपया की माँग कराई है और वहीं फोन करने के बाद दोनो फोन स्विच आफ कर लिये । मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारा लोकेशन लालपुर का आये । फिर वापस रास्ता देखते हुए कि हरीश को कहीं दूसरी जगह रखने के लिए कमरे की तलाश की क्योंकि एक गांव में ज्यादा रखने से पकड़ने का डर था । शाहिद ने अपने किसी जान पहचान के यहाँ रखने के लिए कमरा बता दिया था उसी में हरीश को ले जाने की तैयारी के लिए दोनो गाडियों से जा रहे थे कि रास्ते में पुलिस ने घेर लिया । मैंने पुलिस से घिरा देखते हुए पुलिस पर गोली चलाने के लिए कहा था ताकि हम पुलिस के उपर गोली चलाकर मौका मिलते ही भाग जाये । फायरिंग में मेरे साथी अंकित उर्फ विनीत , शाहिद व वीरु उर्फ बीरपाल को गोली लगी थी और हम सभी पकड़े गये। खेमेन्द्र , ललित और रजत मौके से खेतों की तरफ भाग गये थे मैंने अपनी गाड़ी पर पीछे की तरफ फर्जी नं0 प्लेट लगा रखी थी ताकि पीछे से भागते समय कोई मेरा गाड़ी का नम्बर न देख सके । पर मेरा सब प्लान पुलिस ने फेल कर दिया । यह सब मैंने अपना कर्ज उतारने के लिए किया था। इसके अलावा भी एक होम्योपैथिक संचालक व एलोपैथिक स्टोर संचालक जो जगतपुर , बरेली शहर में है के अपहरण की योजना भी मैंने व मेरे साथियो ने मिलकर बनाई थी परन्तु वहाँ भीड़ भाड़ अधिक रहने के कारण पकड़े जाने के डर के कारण हमारी योजना फेल हो गयी थी ।

<u>विवरण पूछताछ बरामद अपहृत हरीश कटियार-</u>

अपहृत श्री हरीश कटियार पुत्र गंगासरन कटियार द्वारा बताया कि वह मूल रुप से ग्राम पाण्डेपुर थाना पाली हरदोई का रहने वाला है तथा वर्तमान में जनपद बांदा में रहकर अण्डाचौक के पास किराये के मकान में रहकर अण्डे का थोक व्यापार करता है । मेरी पत्नी जो सरकारी टीचर है वर्तमान में जनपद सीतापुर में नियुक्त हैं एंव मेरी जुड़वाँ लड़कियाँ मेरी माँ के साथ कानपुर में रहकर पढ़ती है । मेरे ही गांव के रहने वाले मेरे चचेरे अनुप कटियार पुत्र अमर सिंह जो अपने पिता के साथ पवन बिहार कालोनी बरेली में रहते हैं । गांव पर भी आते जाते रहते हैं। एवं गांव से मेरे पास बांदा में भी कई बार आये गये हैं। पूर्व में इनकी आर्थिक दिक्तत थी तो मुझसे पैसे की माँग किये थे तो मैंने एक बार इन्हे 01 लाख 20 हजार रुपये एंव एक बार 50 हजार रुपये देकर इनकी मदद की थी । लगभग 01 माह पहले यह मुझसे तीन लाख रुपया माँग किये थे किन्तु मैंने उस समय पैसा न होने के कारण एवं पहले का ही उधार लिया पैसा न देने के कारण मना कर दिया था । दिनांक 17/01/2025 को अनुप मेरे कमरे पर बांदा आये फिर खाना खाकर आराम किये और हमसे कहे कि चलो चित्रकुट चलकर घुमकर आते हैं । किन्तु मेरा अण्डे के व्यापार का सीजन चल रहा है तो मैंने कहा कि अभी मैं नहीं जा सकता और फिर शाम को मैंने खाना बनाया और हम दोनों लोग खाये कि समय करीब 9-10 बजे रात मेरे अण्डे का एक ट्रक मण्डी में आ गया मैं उक्त ट्रक को देखने मण्डी तक गया और फिर कुछ देर बाद वापस आ गया । मेरे पास रहने के दौरान अनुप पर कई फोन आये जिससे यह बातचीत में अंकित नाम ले रहा था । जब मैंने पूछा किसका फोन है तो बताया कि बरेली से कुछ लड़के चित्रकुट दर्शन करने आये हैं । वापस लोट रहे हैं । और फिर कुछ देर बाद ही उन लड़को से मिलने की बात कहकर पैदल ही चला गया था और मात्र 10 मिनट के अन्दर ही वापस आ गया था तो मैंने पुछा कि इतना जल्दी कैसे तुम्हारे दोस्त चित्रकुट से आ गये। और तुम मिल भी आये तो बताया कि चौराहे तक आ गये थे। मैं बस हाल चाल किया और चला आया । इसके बाद अन्दर से दरवाजा बन्द कर कुछ देर तक मोबाईल चलाकर हम दोनों सो गये । रात्रि में अचानक ही मुझपर तीन चार लोग कंबल डालकर सोये हुए कपड़ो में ही उठाकर जबरदस्ती ले जाने लगे जब मैं चिल्लाने का प्रयास किया तो मेरे सिर पर तमंचा लगा दिये और फिर जबरदस्ती मुझे एक चारपहिया गाड़ी में डाल दिया और लेकर चल दिये। मेरा फोन भी छीन लिया। कुछ दूर चलने के बाद जब मेरे सिर से कंबल हटा तो देखा कि मै पिछली सीट पर बैठा हूँ और मेरे अगल बगल दो लोग बैठे हैं । जिसमें एक व्यक्ति ने मेरे उपर तमंचा लगा रखा था आगे की सीट पर बाये तरफ एक व्यक्ति बैठा था और गाड़ी अनूप कटियार चला रहा था । तथा वह गाड़ी भी अनूप की ही थी । जब मैं पुछने का प्रयास किया तो तीनों लोगों ने कहा कि तुम्हारे और गाड़ी चला रहे व्यक्ति का अपरहण कर लिया गया है, बोलोगे तो गोली मार दी जायेगी । डर के मारे मैं कुछ नहीं बोल पाया । लेकिन मौका पाकर मैं ड्राईवर के आगे लगे शीशे से इशारा से अनूप को गाड़ी

कहीं थाने पर ले जाने के लिए किया किन्तु उसने गाड़ी कहीं नहीं रोकी रात भर व दिनभर लेकर मुझे चलते रहे जब मुझे प्यास लगी तो मुझे पानी न देकर शराब पिलाते रहे । जिससे मुझे खुब नशा होने लगा किन्तु मुझे इतना आभास हो रहा था कि यह लोग मुझे गाड़ी में लेकर शाहँजापुर एवं अन्य स्थानों पर लेकर घुमते रहे । तथा फिर मुझे एक अन्धकार कोठरी में डालकर बन्धक बना दिये और यह कहा कि तुम्हे इस कोठरी में एवं तुम्हारे साथी को बगल वाली कोठरी में बन्द किया हैं । पिशाब कराने भी बाहर नहीं ले जा रहे थे बल्कि उसी कोठरी में ही पेशाब कराते थे । और दिन के समय लोहे के बड़े बक्शे में बन्द कर देते थे ताकि बाहर मैं आवाज लगाकर किसी की मदद न ले सकू । पानी माँगने पर शराब पिलाते थे। मैं बिल्कुल लाचार हो गया था कि आप लोगों ने मुझे इनके चुंगल से छुड़ा लिया । साहब मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, कि अगर मेरे साथ अनूप का अपहरण हुआ है तो रास्ते भर इतनी लम्बी यात्रा करने के बावजूद तथा गाड़ी से कई जगह उतरने के बाद एवं रास्ते में कई थाना चौकियों को पास करने के बाद भी अनूप ने गाड़ी थाने के अन्दर क्यों नहीं ले गया और न ही किसी पुलिस वालों के पास रोका और मैं इसलिए मदद नहीं माँग सका क्योकि इन लोगों ने मेरे उपर तमंचा लगा रखा था । एवं अनूप से वह लड़के कई बार गाड़ी के पीछे ले जाकर क्या बात कर रहे थे। और मेरा अपहरण हुआ तो घर का दरवाजा किसने खोला जबकि कुंडी मैंने खुद भीतर से बन्द की थी । साहब अब मुझे समझ में आया कि मेरा अपहरण अनूप कटियार ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया है, जबकि मैंने इसकी पहले भी पैसे देकर मदद की थी और 3 लाख रुपये मदद के लिए 15 दिन बाद देने के लिए कहा था । पैसे के लालच में आकर अनूप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा अपहरण कराकर फिरौती वसूलने की योजना बनाई है और अनूप ने मुझे यह दिखाने के लिए कि उसका भी अपहरण हुआ है, झूंठा नाटक किया है । मैं तो अनूप को अपने भाई से भी ज्यादा मानता था । उसकी छोटी-मोटी आवश्यकताओं को भी पूरा करता था । उसे मेरे अण्डे के कारोबार से अच्छी-खासी कमाई की जानकारी भी थी । साहब मैं चाहता हूँ कि अनूप एवं उसके सभी साथियों, जिनका नाम अब स्पष्ट हो गया है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये । इस प्रकार पूछतांछ करने पर अपहृत श्री हरीश कटियार द्वारा उपरोक्त घटनाक्रम बताय गया है।

<u>नाम पता बरामद अपहृत (संबंधित मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर बांदा उत्तर प्रदेश)</u>

1. हरीश कटियार पुत्र गंगासरन नि0 पाण्डेपुर थाना पाली जिला हरदोई उम्र 36 वर्ष

<u>नाम पता गिरफ्तार अपहरणकर्ता-</u>

1. अनूप कटियार पुत्र अमर सिंह नि0 गणेशपुरम थाना बारादरी जिला बरेली उम्र 38 वर्ष
2. अंकित उर्फ विनीत कटियार पुत्र कृष्णपाल निवासी मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली (**पुलिस मुठभेड़ में घायल**) उम्र 29 वर्ष
3. शाहिद पुत्र शराफत शाह नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली (**पुलिस मुठभेड़ में घायल**) उम्र 23 वर्ष
4. वीरू उर्फ बीरपाल पुत्र औमप्रकाश नि0 पीपरानानकार थाना देवरनिया बरेली (**पुलिस मुठभेड़ में घायल**) उम्र 25 वर्ष
5. आकाश पुत्र नरेशपाल नि0 पंडरीसमीप बरोर थाना नबावगंज बरेली उम्र 26 वर्ष
6. उमाशंकर पुत्र औमप्रकाश नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली उम्र 45 वर्ष
7. उदित पुत्र राकेश नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली उम्र 24 वर्ष
8. लाली पत्नी अंकित उर्फ विनीत नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली उम्र 25 वर्ष

<u>नाम पता फरार अपहरणकर्ता-</u>

1. खेमेन्द्र पुत्र उमाशंकर नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली
2. ललित पुत्र शिवस्वरुप नि0 चनेटा थाना कैन्ट बरेली
3. रजत उर्फ उमेश पुत्र हरीश कुमार नि0 बिबयापुर थाना भोजीपुरा बरेली

<u>विवरण बरामदगीः-</u>

1. एक टाटा जेस्ट कार ग्रे रंग नं0 UK 06 AH 0422 जिस पर पीछे की तरफ फर्जी नं0 प्लेट UP 27 DI 0758 लगी हुई है (अपहरण में प्रयुक्त)
2. एक ईको कार सफेद नं0 UP 32 LB 7046 (अपहरण में प्रयुक्त)
3. घटना में प्रयुक्त 09 मोबाईल फोन
4. तीन तमन्चें 315 बोर, चार खोखा कारतूस एंव 06 जीवित कारतूस
5. एक बड़ा टीन का बॉक्स (जिसमें अपहृत को बन्द करके रखा जा रहा था)
6. अपहृत का मोबाईल फोन (अभियुक्तगण के कब्जे से)
7. बन्धक बनाये गये स्थल से बरामद शराब, पान मसाला (गुटका), गिलास, मफलर व अन्य सामग्री

<u>अपहरणकर्ताओं का आपराधिक इतिहासः-</u>

<u>1.अनूप कटियार पुत्र अमर सिंह नि0 गणेशपुरम थाना बारादरी जिला बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 ए0एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

3.मु0अ0सं0 56/25 धारा 229(2)/55 बीएनएस थाना बारादरी जिला बरेली

<u>2.अंकित उर्फ विनीत कटियार पुत्र कृष्णपाल निवासी मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

<u>3.शाहिद पुत्र शराफत शाह नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

<u>4.वीरु उर्फ बीरपाल पुत्र औमप्रकाश नि0 पीपरानानकार थाना देवरनिया बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

<u>5.आकाश पुत्र नरेशपाल नि0 पंडरीसमीप बरोर थाना नबावगंज बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

<u>6.उमाशंकर पुत्र औमप्रकाश नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

<u>7.उदित पुत्र राकेश नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली</u>

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

8.लाली पत्नी अंकित उर्फ विनीत नि0 मियाँपुर थाना भोजीपुरा बरेली

1.मु0अ0सं0 55/25 धारा 109/318(4)/338/336(3)340(2)/142/127(2)/3(5) बीएनएस 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोजीपुरा बरेली

2.मु0अ0सं0 57/25 धारा 140(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जिला बांदा

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. श्री अरुण कुमार सिंह क्षेत्राधिकारी बहेड़ी बरेली
2. प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवीन सोलंकी थाना भोजीपुरा बरेली ।
3. प्रभारी निरीक्षक श्री धनन्जय पाण्डेय थाना बारादरी जिला बरेली
4. निरीक्षक अपराध श्री अरविन्द सिंह थाना बारादरी जिला बरेली
5. व0उ0नि0 तेजपाल सिंह थाना भोजीपुरा बरेली
6. व0उ0नि0 रोहित शर्मा थाना बारादरी जिला बरेली
7. उ0नि0 अखिलेश उपाध्याय थाना बारादरी जिला बरेली
8. उ0नि0 राहुल पुंण्डीर थाना बारादरी जिला बरेली
9. उ0नि0 संजय कुमार थाना भोजीपुरा बरेली
10. उ0नि0 रितेश कुमार थाना भोजीपुरा बरेली
11. हे0का0 640 मो0 असलम थाना बारादरी जिला बरेली
12. हे0का0 1057 धर्मेन्द्र सिंह थाना बारादरी जिला बरेली
13. हे0का0 1054 विशाल यादव थाना बारादरी जिला बरेली
14. का0 798 पंकज कुमार थाना बारादरी जिला बरेली
15. का0 1502 सचिन कुमार थाना बारादरी जिला बरेली
16. का0 1118 लकी कुमार थाना भोजीपुरा बरेली
17. का0 341 हिमांशु थाना भोजीपुरा बरेली
18. का0 3265 अंकित कुमार थाना भोजीपुरा बरेली
19. म0का0 3630 उमा थाना भोजीपुरा बरेली
20. म0का0 3552 सलोनी थाना भोजीपुरा बरेली
21. श्री सतेन्द्र मोतला, प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम ।